जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020/palm/02 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 8 मई 2020

आला अधिकारियों को दिखाने के लिए होती है आबकारी विभाग में फौरी कार्यवाही

अधिक दामों पर बेची शराब, तीन मामले दर्ज

जयपुर @ पत्रिका. आबकारी विभाग ने शहर में एमआरपी से अधिक दर पर शराब बेचने के मामले में तीन दुकानों के लाइसेंसधारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी ने बताया कि पंचवटी, किंग्स रोड और सोडाला स्थित तीन दुकानों पर एमआरपी से अधिक दामों पर शराब बिकती हुई पाई गई।

साभार:-राजस्थान पत्रिका,जयपुर संस्करण में दिनांक 08/05/2020 को प्रकाशित खबर

विशेष रिपोर्ट

कोरोना के चलते शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है,शराब उपभोक्ताओं का एक मात्र उद्देश्य है कि जैसे तैसे अपना कोटा प्राप्त करना क्यूंकि लोकडाउन के चलते जहाँ शराब की दुकाने बंद थी वही तलबगार अपनी तलब मिटाने के लिए शराब की बोतलों के दुगुनी-चारगुनी रेट दे रहे थे|राज्य सरकार ने शराब की दुकाने खोल कर शराब उपभोक्ताओं को राहत दी है परन्तु ग्राहकों की मज़बूरी का फायदा उठाकर शराब ठेकेदारों ने वापस ओवररेट पर वसूली चालू कर दी है|

यद्दपि आबकारी आयुक्त ने इसे गंभीर मानते हुए सभी अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारीयों को ओवररेट वसूलने वाले शराब ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए है|परन्तु विभाग के आबकारी निरीक्षकों की शराब ठेकेदारों से सांठ-गाँठ के चलते यह आदेश फौरी साबित हो रहा है|शहर में अंग्रेजी शराब की 200 के आस-पास दुकाने है और लगभग 80% दुकानों पर ग्राहकों से ओवर रेट वसूली जा रही है|इस आदेश के आने के बाद आनन फानन से कार्यवाही करते हुए तीन दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी|जो कि दुकानों की संख्या को देखते हुए नगण्य है|ज्ञात हो कि पिछले वर्ष वित्त विभाग द्वारा पूरे राज्य में डिकोय ओपरेशन चला कर ओवररेट पर लगाम लगायी गयी थे साथ ही कई आबकारी निरीक्षकों को भी नोटिस दिए गए थे|गौरतलब है कि नई आबकारी निति के अनुसार ग्राहकों को बिल देने का प्रावधान है|परन्तु कोरोना के चलते अभी सभी नियम कायदों को ताक में रखते हुए ओवररेट नाम की लूट जारी है|

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001

कमांक प032(बी)/आब/एल/2020–21/1236 दिनांक 07.05.2020

जिला आबकारी अधिकारी

समस्त।

विषयः– राज्य में मदिरा अनुज्ञाधारियों द्वारा मदिरा की निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक वसूली करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आबकारी शुल्क में संशोधन किये जाने के कारण मदिरा की बोतलों पर पुरानी दर ही लिखी गयी है तथा मदिरा अनुज्ञाधारियों को निर्देशित करने का निर्देश प्रेषित किया गया था कि दुकान पर दर्शनीय स्थल पर अद्यतन दरों को बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए मूल्य से अधिक वसूली नहीं करने की सख्त हिदायत जारी की जावे तथा अनुज्ञाधरियों द्वारा उपभोक्ताओं को रसीद जारी किया जावे।

परन्तु कई मदिरा अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भी ज्यादा वसूली की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य की जांच करवाने के बाद इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है जिले में अनुज्ञापित मदिरा दुकानों का सतत् पर्यवेक्षण कर अधिकतम फुटरकर विक्रय मूल्य से अधिक वसूली पाये जाने पर तुरन्त नियामानुसार कार्यवाही की जावे।

इसे अति आवश्यक समझा जावे।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
आबकारी
आयुक्त,राजस्थान

कमांक प032(बी)/आब/एल/2020–21/ 1236 दिनांक 07.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(आबकारी) विभाग जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, प्रशासन / नीति / जोन–समस्त राजस्थान

आबकारी
आयुक्त,राजस्थान